राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020 जयपुर, दिनांक : 19.03.2020

आदेश

राज्य में स्थित एटीएम मशीनों से प्रतिदिन लाखों की संख्या में आमजन द्वारा पैसे निकालने एवं पैसा जमा कराने के लिए आवाजाही रहती है, जिससे COVID-19 के संक्रमण की आंशका बनी रहती है।

अतः राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1957 की धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु प्रदेश में स्थित सभी बैंकों के प्रबन्धकों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने बैंक की प्रत्येक एटीएम मशीन पर सेनेटाइजेशन की सुविधा उपलब्ध करावें तथा वहां 24 घण्टे गार्ड की तैनाती सुनिश्चित करें तथा गार्ड को निर्देशित करें कि वह प्रत्येक व्यक्ति के हाथों का सेनेटाइजेशन एटीएम को प्रयोग में लेने से पूर्व एवं प्रयोग लेने के पश्चात करवायें। गार्ड द्वारा सेनेटाइजेशन का कार्य सीसीटीवी कैमरे के समक्ष किया जावे एवं इसके वीडियों फुटेज सुरक्षित रखे जावें। साथ ही प्रतिदिन एटीएम स्थल का एक प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराईट सोल्यूशन से डिस–इन्फेक्ट कराया जाना सुनिश्चित करावें।

19/03/2020
(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय।
3. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
4. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
5. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
6. क्षेत्रीय प्रबन्धक, समस्त अधिसूचित बैंक, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
7. जन सम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर।
8. निजी /रक्षित पत्रावली

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव